HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2066/2024

1. Om Prakash Dhakar Son Of Bholaram Dhakar, Resident Of Cheelghar Ke Pass, Sukhdevpura Police Station Hindaun City, District Karauli

----Petitioner

Versus

Rupendra Sharma Son Of Kedarlal Sharma, Resident Of Parwala Kaun Ke Pass, Krishna Colony, Hindaun City, District Karauli

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Surendra Singh, Adv. Mr. Anoop Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

12/05/2026

एकल पीठ दांडिक निगरानी याचिका के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इस निगरानी याचिका में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह निगरानी याचिका विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

In Criminal Misc. 2nd (SOS) Appl. No. 218/2026

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया।

अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांकित **04.02.2023** द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया जिसके विरूद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 19.11.2024 के माध्यम से खारिज की गयी।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त वर्तमान में लम्बे समय से अभिरक्षा में है, वह रिहाई पूर्व ही इस न्यायालय द्वारा आदेशित

राशि विचारण न्यायालय में जमा कराने हेतु तत्पर है, निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं विचार किया गया। धारा 148 प्रकाम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों की मंशा को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह दण्डादेश स्थगन का आवेदन अभियुक्त की ओर से **एक लाख रूपये** की राशि का परिवादी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा कराने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि याची/अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **12.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए तथा विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी द्वारा दांडिक प्रकरण संख्या 160/2016 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **04.02.2023** एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा **पुष्ट** निर्णय के तहत पारित **दण्डादेश (sentence)** के क्रियान्वयन को इस पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

अभियुक्त यदि निगरानी में सफल रहने पर परिवादी **07 प्रतिशत** वार्षिक ब्याज सहित प्राप्तशुदा राशि वापस अभियुक्त को लौटाने बाबत् बंध पत्र विचारण न्यायालय में पेश कर दे, तो उपरोक्त जमाशुदा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विचारण न्यायालय द्वारा बाद रसीद परिवादी को अदा कर दिया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /48